



सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
 CHANGE**
 उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office,
Chandigarh



फाइल नम्बर: 9-HRB072/2020-CHA

दिनांक: 15.09.2020

सेवा में,

नोडल अधिकारी (FC) एवं वन संरक्षक
 कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
 C- 18, वन भवन, सेक्टर 6,
 पंचकुला हरियाणा

विषय: Diversion of 0.1785 ha of forest land in favour of Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Br., Narwana for construction of new road from Narwana Dhakal road to NH 71, under Forest Division and district Jind, Haryana. (online proposal no. FP/HR/ ROAD/44446/2020)

सन्दर्भ: 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या प्रशा डी तीन 9392/7320 दिनांक 31.08.2020.

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भांकित पत्र की ओर दिलाने का निर्देश हुआ है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए **0.1785 ha** वन भूमि की मांग की गई है।

2. प्रस्ताव से सम्बन्धित निम्नलिखित जानकारी भेजने का कष्ट करे:

- Revised Addl. CA scheme for planting 160 plants instead of 80 plants be prepared and uploaded online.
- DFO recommendation under column 16 in Part II online be uploaded correctly.
- Make suitable corrections in the period of diversion filled in as 15 years under column A-1 (x) in part-I, if deemed necessary.
- Clarify whether this is a proposal for construction of new road or a widening project as the lay out plan says otherwise?

3. उपरोक्त जानकारी इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करे जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय

हस्ता/-

(के जेड भुटिया)

उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

- Divisional Forest Officer, Forest Division and District Jind, Haryana
- The Executive Engineer, Provincial Division PWD B&R Br., Narwana